

अनुदान संख्या 69 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 69 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5209,83,00		
			5209,85,00	3491,13,59
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1423,84,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	45,00,00		
			105,00,00	70,96,96
पूरक	Supplementary	60,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	4338.00		
			3959.00	3704.24
पु.	R.	-379.00		
				-254.76

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total grant	Actual expenditure	Saving -
		(लाख रुपयों में)
		(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	51300.00	21291.50	..	-21291.50
पु.	R.	-30008.50			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	465345.00	353350.50	345409.35	-7941.15
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-111996.50			

(I) ₹51300.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹51100.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रिड इंटरैक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹37800.00 लाख पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, नए परियोजनाओं की स्वीकृति न होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति न होने, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "ऑफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" - ₹13300.00 लाख - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कठिन कार्य की स्थिति होने तथा राज्यों द्वारा कार्य की नियुक्ति के आदेश में विलंब होने के कारण।

(I) Provision of ₹51300.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹51100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "New and Renewable Energy - Grid Interactive and Distributed Renewable Power" - under the following heads:-

(A) "Grid Interactive Renewable Power" - ₹37800.00 lakhs - due to non-receipt of adequate proposals, non-sanctioning of new projects, non-submission of utilization certificates by implementing agencies, re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power" - ₹13300.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim, delay in implementation of projects owing to harsh working conditions and delay in placement of work orders by the States.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय” – ₹633.76 लाख की बचत (₹4338.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2810” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “ग्रिड इन्टरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा” –

(क) “ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत” – ₹78662.77 लाख की बचत (₹322415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, विविध स्कीमों के विकास से संबंधित सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया/राज्यों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “ऑफ ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” – ₹4840.21 लाख की बचत (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास” – ₹4499.96 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास स्कीम के बंद हो जाने की वजह से नए परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of New and Renewable Energy” - saving of ₹633.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4338.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards information technology related items, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2810” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grid Interactive and Distributed Renewable Power” -

(a) “Grid Interactive Renewable Power” - saving of ₹78662.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹322415.00 lakhs) was due to delay in finalization of projects, non-receipt of adequate proposals from Solar Energy Corporation of India/States towards development of various schemes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹4840.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of the scheme by States/Union Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Research, Design and Development in Renewable Energy - Research and Development” - saving of ₹4499.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects owing to discontinuation of Research and Development schemes and reduction

of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “सहायक कार्यक्रम – सहायक कार्यक्रम” – ₹1882.22 लाख की बचत (₹9730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) “Supporting Programmes - Supporting Programmes” - saving of ₹1882.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9730.00 lakhs) was due to non-receipt of new proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत” – ₹14486.13 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹32001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Grid Interactive Renewable Power” - saving of ₹14486.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹32001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019); and

(ड) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(E) “Tribal Area Sub-Plan” -

(क) “ग्रिड इंटैक्टिव नवीकरणीय विद्युत” – ₹14420.85 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) “Grid Interactive Renewable Power” - saving of ₹14420.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, पूर्वोत्तर राज्यों और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/राज्यों से ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत प्रणाली के लिए विभिन्न योजनाओं के विकास से संबंधित पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in finalization of projects, non-receipt of adequate proposals for grid connected solar power system from North Eastern States and Solar Energy Corporation of India/States towards development of various schemes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “ऑफ ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” – ₹1387.43 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹1387.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of scheme by States/Union Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹600.00 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का दोनों में 50 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹600.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and both constituting 50 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹700.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि नवंबर, 2019 में मुख्य शीर्ष “2810” – “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – ऑफ ग्रीड/ वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹672.92 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3403.04 लाख) नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹6000.00 लाख के पूरक अनुदान का 57 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत थीं।

2. The above savings were partly (₹700.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under Major Head “2810” - “Special Component Plan for Scheduled Castes - Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power”. Actual excess, however, was ₹672.92 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3403.04 lakhs) constituted 57 percent of the supplementary grant of ₹6000.00 lakhs obtained in November, 2019 and 32 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4810”	Major Head “4810”			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy			
मू.	O.	4500.00		
		10500.00	7096.96	-3403.04
पू.	S.	6000.00		

(I) “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग – कार्यालय भवन” – ₹4500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10500.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹3403.04 लाख की सीमा तक अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under “New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings” - the original provision of ₹4500.00 lakhs was augmented to ₹10500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3403.04 lakhs - due to requirement of less funds towards construction of Atal Akshay Urja Bhawan.